न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी,जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
55/2022	अपील	02.8.2022	31-3-2023

1. रामखिलाडी पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

–अपीलार्थी–

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार वजीरपुर तहसील वजीरपुर।

–रेस्पोडेण्ट–

निर्णय दिनांकः– 31-3-2023

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार, वजीरपुर के उनवानी सरकार बनाम रामखिलाडी, मु0नं0 21/22, निर्णय दिनांक 12.07.2022 के विरूद्ध की गई है।
2. अपील मीमों के अनुसार संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी ग्राम खण्डीप द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार वजीरपुर के समक्ष इस आशय से पेश की कि अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 3491 रकवा 0.25 है0 किस्म चारागाह पर संवत् 2079 में बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर तहसीलदार वजीरपुर ने अपीलार्थी को 60 दिन के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा मे पेश की है।
3. अपील मीमों के अनुसार अदालत मातहत ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी गौर नही फरमाया कि अपीलार्थी का खसरा नम्बर 3491 पर कोई कब्जा नहीं है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलार्थी को 60 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर दिया जो कानूनी प्रावधानों विपरीत है।
4. अपील मीमों के अनुसार अदालत मातहत ने पत्रावली पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित ना होते हुए भी अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती मानते हुये सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। अदालत मातहत ने पडौसी खातेदार के बयान न करवाये जाकर हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।

5. अपील मीमों के अनुसार अदालत मातहत की ओर से पत्रावली मे पटवारी की घटना बही होती है, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी को पूर्व में मौके पर जाकर बेदखल किया हो। घटना बही की नकल पेश करने पर ही अपीलार्थी को पश्चात्‌वर्ती अतिक्रर्मी माना जा सकता है।
6. अपील मीमों के अनुसार निर्णय अदालत मातहत दिनांक 12.7.2022 के विरूद्ध यह अपील पेश कि गयी है। जो अन्दर मियाद है।
7. अपील मीमों मे अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 12.07.2022 निरस्त फरमाया जावें।
8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की गई। अपीलार्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री फारूख खां ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेण्ट की ओर से तहसीलदार वजीरपुर बाबजूद सूचना उपस्थित नही। मूल मिसल अदालत मातहत तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।
9. अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे नही आता है। हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी तथ्य के गलत रिपोर्ट पेश की है। वर्तमान मे अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है तथा मिसल अदालत मातहत में अतिक्रमी के विरूद्ध पूर्व में निर्णीत मुकदमों का कोई रिकॉर्ड संलग्न नहीं है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी बताया कि तहसीलदार का निर्णय प्रिन्टेड है हस्तलिखित नहीं है। पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की रिपोर्ट के साथ कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे अतिक्रमण दर्शित होता है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष मे उपरोक्त तर्क देते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।
10. हमने अपील एवं मिसल अधीनस्थ न्यायालय का आद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी पर सूक्ष्म रूप से मनन किया।
11. हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का समग्र अवलोकन किया। अपील अपीलार्थी इस शर्त पर आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करवाया जावेंगा। तथा इस आशय का शपथ पत्र तहसीलदार, वजीरपुर को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी भी, किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि या संपत्ति पर अतिक्रमण नही करेंगा। तहसीलदार, वजीरपुर स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगें कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर का उक्त उनवान मे पारित निर्णय दिनांक 12.07.2022 को सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें। अन्यथा कथित निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी इस शर्त पर आंशिक स्वीकार की जाती है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करेंगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नियमानुसार तहसीलदार वजीरपुर को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी भी, किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि/संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेगा। तहसीलदार वजीरपुर स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करें कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। निर्णय पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर का उनवानी सरकार बनाम रामखिलाडी मु0नं0 21/2022 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2022 को सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 31-3-2023 को सरे इजलास सुनाया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी(स0मा0)